प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 02.06.2017 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 02.06.2017 को ड्रेनेज, सिवरेज, जलापूर्ति एवं AMRUT योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, मुख्य महाप्रबंधक, बुडको तथा बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. पिछली बैठक में बुडको के कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि मधुबनी ड्रेनेज योजना एवं दरभंगा ड्रेनेज योजना का प्राक्कलन तैयार करके दिनांक 18.03.2017 तक विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

पिछली बैठक में बुडको के कार्यपालक अभियंता द्वारा गलत प्रतिवेदित किया गया था कि AMRUT योजनांतर्गत मुजफ्फरपुर ड्रेनेज योजना का प्राक्कलन विभाग में भेजा गया है, लेकिन आज की समीक्षा बैठक में जानकारी प्राप्त हुई कि अभी तक यह प्राक्कलन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। बैठक में गलत प्रतिवेदित किए जाने के संबंध में कड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी।

निर्देश दिया गया कि प्रबंध निदेशक, बुडको इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे तथा उक्त सभी ड्रेनेज योजना का प्राक्कलन एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि लोक वित्त समिति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा सके।

3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय विभागीय मंत्री के साथ फुलवारी शरीफ नगर निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया गया था, जिसमें बुडको को निर्देश दिया गया था कि road wise सर्वे करके road wise कितने पाईप एवं कितने कनेक्शन लगाये जाने हैं, उसकी पूर्ण सूची फुलवारी शरीफ नगर निकाय को उपलब्ध कराएंगे। पिछली बैठक के क्रम में श्री संदीप कुमार, परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया था कि 02 जोन का सर्वे रिपोर्ट फुलवारी शरीफ नगर परिषद को उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारी शरीफ द्वारा बताया गया कि उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रबंध निदेशक, बुडको इस संबंध में संबंधित परियोजना निदेशक से बैठक में गलत प्रतिवेदित किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे।

4. राजेन्द्र नगर, रोड नं०–2, सैदपुर के निकट एवं बारी पथ (खेतान मार्केट के निकट) में अभी भी हल्की बारिश होने पर रोड में काफी जलजमाव हो जाता है। इस हेतु सैदपुर सम्प हाऊस की डिस्चार्ज क्षमता बढ़ाने के संबंध में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि प्रथम फेज का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें तीन–चार माह समय लगने की संभावना है तथा

पाटलिपुत्रा एवं गोसाईं टोला सम्प हाऊस की क्षमता बढ़ाने हेतु निविदा प्रकाशित कर दी गयी है।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि राजेन्द्र नगर, रोड नं०–2, सैदपुर नाला के निकट स्टॉर्म ड्रेनेज, जो प्रेमचंद रंगशाला से होते हुए एन०सी०सी० के निकट से जाएगी, इसका शीघ्र डी०पी०आर० तैयार किया जाय।

5. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि राजवंशी नगर पम्पिंग स्टेशन से बोरिंग कैनाल रोड तक ड्रेनेज के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार हो गया है। निर्देश दिया गया कि उक्त क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण करके संशोधित प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाय।

6. मुंगेर एवं जमालपुर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जलापूर्ति का कार्य कराया जा रहा है। इन दोनों नगर निकायों में जलापूर्ति कार्य AMRUT योजनांतर्गत स्वीकृत है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जलापूर्ति योजना के स्वीकृत प्राक्कलन की जानकारी के अभाव में डी०पी०आर० final नहीं हो पा रहा है।

श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पत्र भेजकर स्वीकृत योजना की जानकारी प्राप्त की जाय।

7. पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत बेऊर से मीठापुर तक ड्रेनेज योजना, AMRUT योजना के SAAP III योजनांतर्गत स्वीकृत हैं। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि बेऊर से मीठापुर तक ड्रेनेज का डी०पी०आर० शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि SLTC से पारित कराया जा सके।

8. श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि AMRUT योजनांतर्गत वर्ष 2017–18 में व्यय शून्य है तथा हाऊस–टू–हाऊस कनेक्शन भी काफी कम हुआ है एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की माँग की गयी है।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में लगभग 20.00 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है।

श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराया जाय तथा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को पत्र भेजा जाय कि हाऊस–टू–हाऊस कनेक्शन में प्रगति लायी जाय एवं कार्य की प्रगति को spedite कराया जाय।

9. पिछली बैठक में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया था तथा विभाग द्वारा भी पत्र के माध्यम से बिहार राज्य जल पर्षद को सूचित किया गया था कि पटना साहिब क्षेत्रांतर्गत चौक शिकारपुर से न्यू बाईपास के बीच बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कराए गये नाला निर्माण में लगभग 300 मीटर में missing gap के संबंध में शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करायी जाय, लेकिन आज बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि अभी तक इस संबंध में अग्रेत्तर कोई कार्रवाई बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा नहीं किया गया है।

श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में बिहार राज्य जल पर्षद को पुनः पत्र के माध्यम से सूचित किया

जाय कि यदि उनके द्वारा छूटे हुए नाले का निर्माण कार्य अतिशीघ्र नहीं कराया जाता है तो संबंधित अभियंताओं पर अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

10. बिहार राज्य जल पर्षद एवं बुडको द्वारा कराए जा रहे हाऊस–टू–हाऊस कनेक्शन का status प्रतिदिन update किया जाय। वार्ड के road wise आच्छादित घरों की संख्या के साथ–साथ प्रतिदिन कराये जा रहे हाऊस–टू–हाऊस कनेक्शन का computerized report संधारित करने एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

11. पिछली बैठक में आरा शहर में ड्रेनेज की समस्या के संबंध में निर्देश दिया गया था कि श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता एवं श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आरा शहर में ड्रेनेज समस्या का स्थल निरीक्षण किया जाय एवं समस्या के निराकरण हेतु मंतव्य के साथ प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

आज बैठक में श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि निरीक्षण कर लिया गया है, जिसका प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को समर्पित कर दिया जाएगा।

12. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि जलापूर्ति योजना हेतु जिन नगर निकायों में जमीन का NOC अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसके संबंध में विभाग को सूचित करें ताकि विभाग स्तर से जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा जा सके।

13. बोधगया में बुडको द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अभी तक नागरिकों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पायी है, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होती रहती है। निर्देश दिया गया कि प्रबंध निदेशक, बुडको इस संबंध में प्रतिदिन अपने स्तर से अनुश्रवण करके अतिशीघ्र जलापूर्ति चालू करना सुनिश्चित करेंगे।

14. मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं का संवेदक एजेंसियों के साथ प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित करके अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे एवं बैठक की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराएंगे।

15. पटना रेलवे लाईन के दक्षिणी क्षेत्र के जलापूर्ति का डी०पी०आर० बनाने के संबंध में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि पूर्व में बुडको द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के 14 वार्डों में पेयजल योजना का कार्य कराया गया था, जिसका डी०पी०आर० बुडको द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण डी०पी०आर० बनाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं हो सकी है।

कार्यपालक अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि शीघ्र उक्त डी०पी०आर० बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराएं।

16. ए०डी०बी० संपोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना में टॉवर निर्माण हेतु डी०पी०आर० में technical change किया गया है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, ए०डी०बी० को पूर्व में दोनों का cost का analysis करके सूचित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आज की बैठक में ज्ञात हुआ कि इस संबंध में अभी तक इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

प्रबंध निदेशक, बुडको इस संबंध में संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

5/6/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–......3769......न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक ....5/6/17....

प्रतिलिपि :– श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बुडा, पटना/श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता/श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/2017

प्रधान सचिव